परिशिष्ट - 1

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. - 359
माननीय सदस्य का नाम — श्री रमेश प्रसाद खटीक
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 01.08.2025

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 359 के प्रश्नांश (क) से संबंधित

भाग –2
तकनीकि निविदा की अर्हकारी शर्त

1. संस्था द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2024–25, 2023–24, 2022–23) में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोगी निविदा में दर्शित सामग्री का प्रदाय किया हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
2. पिछले तीन प्रत्येक वित्तीय वर्षों (2024–25, 2023–24, 2022–23) में न्यूनतम 50.00 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्सशीट भी संलग्न करें।
3. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नही होना चाहिए। इस बावत् निविदिाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार) या काली सूची से बाहल किया गया हो तो तदनुसार अभिलेख अपलोड करें।
4. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें।
   - क. जी.एस.टी.प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
   - ख. आयकर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
   - ग. वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
5. पिछले तीन ऐसेसमेंट वर्ष (2024–25, 2023–24, 2022–23) का इनकम टेक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोर्ड करें।
6. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000.00 वापसी योग्य नही है।
7. यदि निविदा की शर्तो एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नही की जावेगी।

भाग –3

निविदा की अन्य शर्तें

1. सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, शिवपुरी वनमंडल के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जप्त किया जा सकेगा।
2. पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
3. निविदा माह मई 2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये मान्य होगी । वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात दोनों पक्षो की सहमति से निविदा की अवधि तीन माह तक बढ़ायी जा सकेगी ।
4. ऑनलाईन निविदा डालने हेतु भाग–4 में उल्लेखित सामग्री के लिये क्रमांक 1 से 13 तक कुल राशि रू. 100000 एवं क्रमांक 14, 15 एवं 16 हेतु क्रमशः राशि रू. 100000/–, 100000/–, 50000/– की प्रतिभूति राशि जमा होगी जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर./ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी शिवपुरी (सा.) के पक्ष में जमा कर संलग्न करना अनिवार्य है । इसके अभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नही करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश वन विभाग, शिवपुरी वनमंडल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जप्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐंसी परिस्थिति में भुगतान से कटौति का अधिकार वनमंडलाधिकारी वनमंडल शिवपुरी के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
6. त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर नियमानुसार दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।
7. सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। कोई भी सामग्री इंक द्वारा लिखकर डुप्लीकेट दर्शाई जाती है या मूल निर्माता कंपनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक सामग्री की सप्लाई पर कम से कम एक वर्ष की रिप्लेसमेंट गारंटी रहेगी।
8. शिवपुरी वनमंडल की क्षेत्रीय सीमा के अंदर परिक्षेत्र शिवपुरी/सतनबाडा/पोहरी/ करैरा/कोलारस/बदरवास/पिछोर के वनक्षेत्रों में प्राधिकृत द्वारा दिए आदेश के अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।
9. प्रदाय हेतु ई–निविदा में सामग्री की मात्रा दर्शित नही की जा रही है, पूरे वर्ष में आवश्यकतानुसार कय की जवेगी। निविदा में दर्शित सामग्री कय करने अथवा नही करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
10. गिट्टी, रेत एवं मुरम के लिए निविदाकार खनिज विभाग द्वारा जारी रायल्टी देयक के साथ पहुंचते दिनांक को देना होगा। खनन में प्राप्त सामग्रियों पर माइनिंग डिपार्टमेंट की रायल्टी की रसीद बिल/देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी भुगतान की कार्यवाही होगी।
11. निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय व रायल्टी सहित होगी। दर समस्त देय करों सहित प्रस्तावित करना होगा।
12. भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौति की जावेगी।
13. निविदाकार का पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन निविदा प्रकाशन के पूर्व का होना अनिवार्य है। उसके पास जी.एस.टी.नंबर होना चाहिए। फर्म पंजीकरण/सामग्री की डीलरशिप प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य ह।
4. सामग्री का प्रदाय, आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा।
5. सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन अद्योहस्तारकर्ता/उप वनमंडलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार ही भुगतान होगा।
6. प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐंसा रखा जावेगा, जिससे मापन में सुविधा हो।
7. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वन विभाग शिवपुरी वनमंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

19. निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/– रू. का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।

20. किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है उसके द्वारा हस्ताक्षर कर्ता को दिया गया मुख्तरनामा जो 1000/– रू. के स्टांप पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

21. जो निविदा मान्य नही होगी उनकी सत्यंकार राशि लौटा दी जावेगी।

22.. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

23. सामग्री की गुणवत्ता वैज्ञानिक ई/निदेशक एवं प्रमुख भोपाल शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरों भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्र./बीपीओ/मानक संर्वधनगतिविध/2022–23/19 दि. 14.12.2022 के संलग्न सूची में दर्शित सामग्री का आईएस कोड संबंधी दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24. सामग्री की गुणवत्ता हेतु मापदंड आई.एस.आई मार्क/लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित मैन्यूअल/म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरुप होंगे।

25. सफल निविदाकर्ता को सामग्री का सेम्पल प्रस्तुत करना होगा। सामग्री के सेम्पल का कोई मूल्य देय नही होगा।

26. दरें स्वीकृत होने पर सेम्पल अनुसार सामग्री प्रदाय की जाना होगी।

27. सामग्री के कय आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे। जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा जो परिक्षेत्र मुख्यालय से 70 किलोमीटर की परिधि में होगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुंचा कर देनी होगी।

28. अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निविदाएं बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

29. निविदा प्रकिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वन विभाग, वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।

30. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वन विभाग, वनमंडलाधिकारी, शिवपुरी वनमंडल का होगा।

31. किसी भी तरह के विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र शिवपुरी न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

32 सफल निविदाकार द्वारा तय समयावधि में सामग्री प्रदाय नही करते है तो, उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष–2)
वल्लभ भवन, भोपाल